

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT

महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकदारी)-l, महाराष्ट्र OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-l, MAHARASHTRA

2 री मंजिल, पतिष्ठा अवन, न्यू मरीन लाईन्स 101, महर्षि कर्वे मार्ग, मुंबई - 400 020 दुरध्वनी: (022) 2203 9689 फैक्स: 2208 6984 Email: agaeMaharashtra1@cag.gov.in 2 nd Floor, Pratishtha Bhavan, New Marine Lines 101, Maharshi Karve Road, Mumbai – 400 020 Tel: (022) 2203 9680 Fax: 2208 6884 Website: https://cag.gov.in/ae/mumbai/en

Date: 16.12.2025

No. WM Cell/Initial Posting/Option/820

विषय: स्थानांतरण का विकल्प Subject: Option for Transfer

विभागीय लेखा अधिकारी/ विभागीय लेखाकार के स्थानांतरण और तैनाती पर मौजूदा मुख्यालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, परिपत्र संख्या 51-Staff (Appt)-III/F-110-2023 दिनांक 22-01-2025 के पैरा 7 के तहत, आप पोस्टिंग के लिए अपनी पसंद के दस अलग-अलग स्टेशनों का विकल्प अपनी पसंद के क्रम में दे सकते हैं। कोई भी सशर्त विकल्प, जिसमें किसी खास जगह/विभाग का विकल्प शामिल है, पर विचार नहीं किया जाएगा।

In pursuance of the extant HQ guidelines on Transfer and postings of Divisional Accounts Officers/Divisional Accountants, Para 7 of circular No. 51-Staff (Appt)-III/F-110-2023 dated 22-01-2025, you may furnish option for TEN different Stations of your choice for posting in the order of preference. Any conditional option including Option for a specific place/division will not be considered.

यह भी ध्यान देने योग्य है कि आपके चुने हुए स्टेशन पर आपका स्थानांतरण रिक्ति की उपलब्धता, आपकी विरष्ठता, मुख्यालत के गवनिंग दिशानिर्देशों और प्रशासनिक ज़रूरतों के अधीन माना जाएगा। यह संभव है कि आपकी ग्रेड के अनुसार उपयुक्त विभाग आपको उसी स्टेशन पर समायोजित करने के लिए उपलब्ध न हो। उस स्थिति में आपको आपके विकल्प के पास के स्टेशन के बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है।

You may also note that your transfer to the Station opted by you will be considered subject to availability of vacancy, your seniority, the governing guidelines of HQ and administrative exigencies. It is likely that the Division appropriate to your grade may not be available to accommodate you in the same station. In that case you may be shifted outside the station nearby your option.

विकल्प फॉर्म इस कार्यालय को ई-मेल (गोपनीय चिहिनत) द्वारा, यानी kamblena@cag.gov.in पर, saowm.mh1.ae@cag.gov.in को cc में रखकर, विषय "पोस्टिंग के लिए विकल्प" के साथ, 26.12.2025 (05:30 P.M.) या उससे पहले भेजा जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से या किसी अन्य ई-मेल पर भेजा गया विकल्प फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।

The option form should be sent by e-mail (marked confidential) to this office, i.e. kamblena@cag.gov.in with cc to saowm.mh1.ae@cag.gov.in the subject "OPTION FOR POSTING", on or before 26.12.2025 (05:30 P.M.). The option form sent by any other means or sent on any other e-mail will not be taken into consideration.

खाली विभागों की एक सूची, साथ ही जिन विभागों के खाली होने की संभावना है और उनके संबंधित ग्रेड, स्टेशन चुनने के विकल्प में आपकी सहायता के लिए कार्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है।

A list of vacant divisions, along with divisions likely to fall vacant and their respective grades, has been published on the office website to assist you in exercising the option to choose the station.

(प्राधिकारः महालेखाकार महोदया का दिनांक 15.12.2025 का आदेश।) (Authority: Accountant General's order dated 15.12.2025)

उपमहालेखाकार/प्रशासन

Dy. Accountant General(Admn)

To,

Shri/Smt/Ms.